(वाद सं0– 4319/4/39/2020)

20.12.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, अंजली यादव के पति, रमेश कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला परिषद, वैशाली, हाजीपुर में कार्यरत्त को उपविकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, वैशाली द्वारा अक्टूबर 2018 से मई 2021 तक (कुल 20 माह) के मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हाजीपुर, वैशाली के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में परिवादी के पति, रमेश कुमार, टंकक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर को माह अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2020 तक के बकाया मानदेय राशि 272280/– रूपये में से उक्त वर्ष में अधिक भुगतान किये गये राशि को समायोजित करते हुए शेष भुगतेय राशि 89530/– रूपये का भुगतान जनवरी 2021 में किया जा चुका है। प्रतिवेदनानुसार, माह 2021 से मई 2021 तक के बकाया मानदेय की राशि 77515/– रूपये का भुगतेय राशि जून 2021 में भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। **परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसके पति के 20 माह के बकाया मानदेय का भुगतान जिला परिषद, हाजीपुर, वैशाली द्वारा कर दिया गया है। उसकी ओर से प्रस्तुत मामले को समाप्त करने का अनुरोध भी किया गया है।**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन (पृष्ठ 59–54/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक